धारा 56 : विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज

यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली छह प्रतिशत् से अनधिक की दर पर उक्त उपधारा के अधीन [1][ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तथा ऐसी रीति में संगणित किये जाने वाले, ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तारिख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारिख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिये] ब्याज संदेय होगा :

परन्तु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश, जो अंतिम आदेश हो गया है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप फाइल किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, वहां परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत् से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है, वहां अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।